

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.15(2)राज/वाद/96 पार्ट-21

जयपुर, दिनांक ३१-१-२०२३

:: आदेश ::

इस विभाग के पूर्व आदेशों को अतिलंघित करते हुए विभिन्न सिविल न्यायालयों में विचाराधीन दीवानी प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को एक वर्ष के लिए अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए एतद्वारा पैनल लॉयर नियुक्त किया जाता है:-

जिला धौलपुर

क्र. सं०	न्यायालय	नाम अभियोजक	एनरोलमेन्ट नं०
	1	3	4
1	सिविल न्यायाधीश, सरमथुरा	श्री जय सिंह मीना	आर/215/2003

जिला ढूंगरपुर

क्र. सं०	न्यायालय	नाम अभियोजक	एनरोलमेन्ट नं०
	2	3	4
1	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/ सिविल न्यायाधीश, जिला ढूंगरपुर	श्री कन्हैयालाल पटेल	आर/2179/2003
		श्री शिवशंकर कटारा	आर/2857/2004

आज्ञा से

३०

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशेष न्यायालय, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता भय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित जिला कलक्टर।
- 9 संबंधित कोषाधिकारी।
- 10 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 11 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 12 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 13 रक्षित पत्रावली।

31/1/23
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि